

नवनीत सहगल
प्रमुख सचिव



अर्द्धशा0प0सं0-315 / 57-2016-15(जी) / 2016

धर्मार्थ कार्य विभाग

लखनऊ : दिनांक : ०७ अप्रैल, 2016

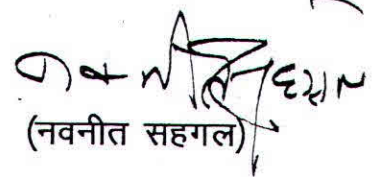
आदरणीय महोदय,

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आयोजित समाजवादी श्रवण यात्रा के अन्तर्गत विशेष रेलगाड़ी के माध्यम से शासकीय व्यय पर शिरडी, त्रयम्बकेश्वर एवं शनि सिंगनापुर (महाराष्ट्र) के दर्शन हेतु तीर्थ यात्रियों को भेजा जा रहा है। इस संबंध में विज्ञप्ति संख्या- 5/2016/265/2016/57/2016-15(जी)/2016टी.सी.-1, दिनांक: 31 मार्च, 2016 आपको भेजी गयी है। उक्त पत्र के द्वारा आपसे चयनित यात्रियों की सूची दिनांक: 10-04-2016 तक उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है।

उक्त यात्रा दिनांक: 26-04-2016 से दिनांक: 30-04-2016 के मध्य सम्पन्न होगी। विशेष रेलगाड़ी लखनऊ रेलवे स्टेशन से मध्याह्न 12.00 बजे प्रस्थान करेगी।

इस संबंध में मुझसे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि चयनित यात्रियों (ऑनलाइन/ऑफलाइन) यात्रियों की सूची तत्काल शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अति महती कृपा होगी।

भवदीय,


(नवनीत सहगल)

श्री (नाम से)
जिलाधिकारी,
जिला
उत्तर प्रदेश।

संख्या-315 (1) / 57-2016-15(जी) / 2016 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक, आई०आर०सी०टी०सी०, लखनऊ।
- 2- प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- महानिदेशक, पर्यटन उ०प्र० शासन।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 5- प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०एस०आर०सी०टी०सी०, लखनऊ। (यात्रा के चयनित यात्रियों को उनके गृह जनपद के निकट बस स्टॉप से लेकर रेलवे स्टेशन चारबाग तक छोड़ने तथा यात्रा की समाप्ति के उपरान्त रेलवे स्टेशन चारबाग से उनके गृह जनपद के निकट बस स्टॉप तक निःशुल्क प्रस्थान कराने की व्यवस्था कराने के संबंध में।)
- 7- प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त यात्रा हेतु दो चिकित्सक (एक फिजीशियन एवं एक हृदय रोग विशेषज्ञ) एवं दो नर्से नामित करते हुये धर्मार्थ कार्य विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 8- महानिदेशक चिकित्सा, लखनऊ।
- 9- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ।
- 10- सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग।
- 11- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ।
- 12- वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 13- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 14- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5, उ०प्र० शासन।
- 15- निजी सचिव, मा० मंत्री, धर्मार्थ कार्य, उ०प्र०।
- 16- सामान्य प्रशासन विभाग।
- 17- विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,


(बराती लाल)
अनुसचिव।